

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 388/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.10.2026

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

- कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन कर दो पासपोर्ट बनवाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
- थाना जहानागंज पुलिस ने मु0अ0सं0 202/2026 में वांछित अभियुक्त को मंदे बार्डर के पास से किया गिरफ्तार, न्यायालय भेजा गया

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 27.09.2026 को थाना जहानागंज पर पासपोर्ट धारक सलमान अहमद पुत्र मोहम्मद इरफान, निवासी ग्राम सलेमपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपने व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन कर एक से अधिक पासपोर्ट बनवाये जाने के संबंध में प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में मु0अ0सं0 202/2026 धारा 318(2), 319(2) बीएनएस एवं धारा 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 336(3), 338, 340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 07.10.2026 को थाना जहानागंज पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त सलमान पुत्र मोहम्मद इरफान, निवासी सलेमपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर मंदे बार्डर के पास से समय करीब 07:45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 202/2026 धारा 318(2), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस एवं धारा 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सलमान पुत्र मोहम्मद इरफान, निवासी सलेमपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अछेलाल यादव, हे0का0 अमरेश सिंह, रि0का0 विवेक गोंड, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

• जाली नोट के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

• देशी शराब की दुकान पर जाली नोट देकर शराब खरीदने के मामले में थाना रौनापार पुलिस की कार्रवाई

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 06.10.2026 को वादी उदयभान यादव पुत्र स्व० तिलक यादव, निवासी सहदेवगंज, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़, सेल्समैन देशी शराब की दुकान द्वारा थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी गयी कि रामअशीष यादव उर्फ बगड़ द्वारा अपने साथी पंकज राय उर्फ विनय कुमार राय को 100-100 रुपये के दो जाली नोट देकर गांगेपुर मठिया स्थित देशी शराब की दुकान से शराब खरीदने के लिए भेजा गया था। तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 285/2026 धारा 179/180 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रौनापार पुलिस द्वारा दिनांक 07.10.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त पंकज राय उर्फ विनय कुमार राय पुत्र सुबाष राय, निवासी जोकहरा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर ग्राम पहाड़पुर गोड़ौली इंटरलॉकिंग के पास से समय करीब 06:17 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 285/2026 धारा 179/180 बीएनएस, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 74/2017 धारा 498ए/323/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट, थाना रौनापार।
2. मु०अ०सं० 123/2017 धारा 308/323 भादवि, थाना रौनापार।
3. मु०अ०सं० 285/2026 धारा 179/180 बीएनएस, थाना रौनापार।

गिरफ्तार अभियुक्त-

पंकज राय उर्फ विनय कुमार राय पुत्र सुबाष राय, निवासी जोकहरा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।
बरामदगी-

100 रुपये का 01 अदद जाली नोट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० रमेश कुमार, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
2. व०उ०नि० रामअनुज शुक्ला, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
3. का० रविशंकर चौरसिया, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

• देशी शराब की दुकान पर जाली नोट देकर शराब खरीदने के मामले में थाना रौनापार पुलिस की कार्रवाई, जाली नोट के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 06.10.2026 को वादी उदयभान यादव पुत्र स्व० तिलक यादव, निवासी सहदेवगंज, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़, सेल्समैन देशी शराब की दुकान द्वारा थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी गयी कि रामअशीष यादव उर्फ बगड़ द्वारा अपने साथी पंकज राय उर्फ विनय कुमार राय को 100-100 रुपये के दो जाली नोट देकर गांगेपुर मठिया स्थित देशी शराब की दुकान से शराब खरीदने के लिए भेजा गया था। तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 285/2026 धारा 179/180 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रौनापार पुलिस द्वारा दिनांक 07.10.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त पंकज राय उर्फ विनय कुमार राय पुत्र सुबाष राय, निवासी जोकहरा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर ग्राम पहाड़पुर गोड़ौली इंटरलॉकिंग के पास से समय करीब 06:17 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 285/2026 धारा 179/180 बीएनएस, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 74/2017 धारा 498ए/323/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट, थाना रौनापार।
2. मु०अ०सं० 123/2017 धारा 308/323 भादवि, थाना रौनापार।
3. मु०अ०सं० 285/2026 धारा 179/180 बीएनएस, थाना रौनापार।

गिरफ्तार अभियुक्त-

पंकज राय उर्फ विनय कुमार राय पुत्र सुबाष राय, निवासी जोकहरा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।
बरामदगी-

100 रुपये का 01 अदद जाली नोट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० रमेश कुमार, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
2. व०उ०नि० रामअनुज शुक्ला, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
3. का० रविशंकर चौरसिया, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

• होटल संचालक व कर्मचारियों से मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

• कमरा देने से मना करने पर शराब के नशे में आरोपियों ने किया था हंगामा, होटल संचालक व कर्मचारियों से की थी मारपीट

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:

वादी मुकदमा आनन्द सोनकर पुत्र कमलेश सोनकर, निवासी कटघर, सदर आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी गयी कि वह सरायमंदराज में रेड रोज होटल चलाता है। दिनांक 04.10.2026 की रात्रि करीब 09:00 बजे अंकित यादव उर्फ जोनी, पिन्टू यादव, मगानू यादव एवं उनके साथ आये अन्य व्यक्तियों द्वारा होटल पर चखना एवं कमरा मांगा गया। अधिक शराब पीने के कारण कमरा देने से मना करने पर उक्त लोगों द्वारा वादी एवं होटल स्टाफ के साथ गाली-गलौज व मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 525/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 3(5), 125 बीएनएस एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को दिनांक 07.10.2026 को राजघाट, सरायमंदराज के पास से गिरफ्तार किया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:

1. पिन्टू उर्फ धीरज कुमार यादव पुत्र रामलखन यादव, निवासी मधनापार, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।
2. अरबिन्द उर्फ मगानू पुत्र दुर्वाषा यादव, निवासी चकभारी, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 525/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 3(5), 125 बीएनएस एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

उ0नि0 शशि सिंह, चौकी प्रभारी बदरका, रि0का0 लवकुश मौर्या एवं रि0का0 दिलीप कुशवाहा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट

दिनांक – 07.10.2026

थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

• NCSAM के तहत अमर शहीद इंटर कॉलेज ईश्वरपुर में साइबर जागरूकता अभियान, विद्यार्थियों को डिजिटल अरेस्ट व ऑनलाइन ठगी से बचाव की दी जानकारी

• साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करने एवं www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने के प्रति किया गया जागरूक

भारत सरकार गृह मंत्रालय के I4C द्वारा चलाये जा रहे नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस माह (NCSAM) के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से आज दिनांक 07.10.2026 को अमर शहीद इंटर कॉलेज, ईश्वरपुर, आजमगढ़ में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी अपराध कौस्तुभ त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं उपस्थित लोगों को साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों एवं उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम के दौरान डिजिटल अरेस्ट, फर्जी पुलिस/सीबीआई/साइबर पुलिस अधिकारी बनकर धन की मांग, फर्जी ऐप एवं लिंक के माध्यम से ठगी, गिफ्ट/लॉटरी स्कैम, फर्जी ट्रेडिंग एवं इन्वेस्टमेंट ग्रुप, क्रिप्टो स्कैम, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, फर्जी पेमेंट लिंक, OLX/KYC फ्रॉड, ऑनलाइन लोन स्कैम, म्यूल अकाउंट, फर्जी मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली ठगी, हनी ट्रेडिंग, सेक्सटॉर्शन एवं न्यूड कॉल ब्लैकमेलिंग सहित विभिन्न साइबर अपराधों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी।

साइबर अपराध से बचाव हेतु लाउडहेलर एवं पम्पलेट के माध्यम से भी जनजागरूकता की गयी। विशेष रूप से विद्यार्थियों को सलाह दी गयी कि अनजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल से सावधान रहें तथा किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने अथवा अनजान ऐप डाउनलोड करने से बचें।

साइबर ठगी का शिकार होने की स्थिति में बिना समय गंवाये साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गयी, जिससे ठगी की धनराशि को समय रहते रोके जाने की संभावना बढ़ जाती है।

सेक्सटॉर्शन से बचाव के संबंध में बताया गया कि साइबर अपराधी फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर पहले दोस्ती करते हैं और बाद में वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील वीडियो दिखाकर उसकी रिकॉर्डिंग के आधार पर ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार का भुगतान न करने तथा तत्काल 1930 पर शिकायत करने की सलाह दी गयी।

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी-

उ०नि० शिवकुमार उपाध्याय, हे०का० कल्लू प्रसाद, का० विशाल यादव, का० विकास कुमार, म०का० हसीना खातून एवं म०का० संज्ञा देवी, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।